308 (13) दिशानिर्देशों की समीक्षा

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किए जाने वाले राष्ट्रपति के निदेशों/दिशानिर्देशों के संबंध मे इस विभाग के तारीख 25.1.91 के समसंख्यक का.ज्ञा. (प्रति संलग्न) के अनुक्रम में इस विषय पर सरकार के अनुदेशों को स्पष्ट/समेकित करने के लिए पुनःविचार किया गया। अब यह निर्णय लिया गया है कि सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जो भी अनुदेश देना चाहती है, वे मुख्यतः निम्नलिखित दो श्रेणियों में आते हैः–

(i) **राष्ट्रपति के निर्देशः** इन्हे प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा आवश्यक परिस्थिति में संबंधित क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किया जाता है और ये अनिवार्य प्रकृति के होते हैं। एकरूपता बनाए रखने के दृष्टि से एक ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित निर्देशों को लोक उद्यम विभाग की सलाह से और यदि ये निर्देश एक से अधिक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर लागू हों तो लोक उद्यम विभाग की सहमति से जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों को एक या अधिक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को एकरूपता की अपेक्षा रखने वाले नीतिगत मामलों पर राष्ट्रपति के निर्देश जारी करने के लिए कह सकता है।

(ii) **दिशानिर्देशः** इन्हें प्रशासनिक मंत्रालय या लोक उद्यम विभाग में से किसी के भी द्वारा जारी किया जा सकेगा और इनकी प्रकृति परामर्शी होगी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्ड को लिखित में दर्ज कारणों से अपने विवेकाधिकार पर इन दिशानिर्देशों को न अपनाए जाने का विवेकाधिकार है। इस विषय पर बोर्ड के संकल्प में बताए गए उन कारणों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और लोक उद्यम ब्यूरो, दोनों को अग्रेषित किया जाएगा।

2 सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उनके द्वारा भविष्य में सरकारी क्षेत्र को जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रपति के दिशानिर्देशों को मसौदे के रूप में लोक उद्यम विभाग को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

3. यह का. ज्ञा. मंत्रिमंडल सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(लोक उद्यम विभाग का दिनांक 8.11.91 का का.ज्ञा. सं. 6(6)/88–समन्वय)